राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13565/2022

संतोष देवी पत्नी भंवर लाल मीना, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी दूदू, पुलिस थाना दूदू, जिला-जयपुर (राजस्थान)।

(वर्तमान में अपीलार्थी सेंट्रल जेल जयपुर में बंद है)।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, पी.पी. के माध्यम से

----प्रत्यर्थी

<u>से संबद्ध</u>

एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13566/2022

मीनू देवी पत्नी स्वर्गीय जीतेन्द्र मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी दूदू, पुलिस थाना दूदू, जिला-जयपुर (राजस्थान)।

(वर्तमान में अपीलार्थी सेंट्रल जेल जयपुर में बंद है)।

---प्रत्यर्थी

राजस्थान सरकार, पीपी के माध्यम से

----अपीलार्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री के.के. भिंडा, अधिवक्ता श्री अतर सिंह, अधिवक्ता के लिए।
	:	सुश्री मीता पारीक, सलाहकार
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री मंगल सिंह सैनी, पी.पी.

माननीय श्रीमान जस्टिस अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

24/11/2022

रिपोर्टेबल

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।।"

'मनुस्मृति' के उपरोक्त प्रसिद्ध श्लोक का अर्थ है:-

"जहां औरतों का सम्मान होता है वहां स्वर्ग होता है और जहां औरतों का अनादर होता है, वहां कोई भी कार्य कितना भी पवित्र क्यों न हो, फलदायी नहीं होता।"

शादियाँ स्वर्ग में तय होती हैं, यह एक कहावत है। एक दुल्हन अपने माता-पिता के घर से वैवाहिक घर के लिए निकलती है, और अपने पीछे इस उम्मीद के साथ मीठी यादें छोड़ जाती है, कि वह अपने दूल्हे के घर में प्यार से भरी एक नई दुनिया देखेगी। वह न केवल अपनी यादें, बल्कि अपना उपनाम, गोत्र और मायके भी छोड़ गई है। वह न केवल एक बहू, बल्कि वास्तव में एक बेटी बनने की उम्मीद करती है। अफ़सोस! दहेज के लिए नवविवाहित लड़कियों को प्रताड़ित करने के मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि से ऐसे सपने चकनाचूर हो गए हैं। ससुराल वालों को आतंकवाद को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी माना जाता है जो वैवाहिक घर को नष्ट कर देता है। आतंकवादी दहेज है, और यह हर संभव दिशा में जाल फैला रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त उद्धरण **कमलेश पंजियार बनाम बिहार सरकार**, **2005 में प्रकाशित सी.आर.एल.जे. 1418** के मामले में है जो तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होता है।

तीन बहनों की शादी तीन भाइयों के साथ संपन्न हुई। उनके पतियों और ससुराल वालों ने उन्हें चिढ़ाना, ताने देना, अपमानित करना और उन पर असहनीय अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर मानसिक पीड़ा और अपमानजनक पशु जैसे जीवन सी उदासीनता पैदा हो गई। तीनों विवाहित लड़कियों को अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी है मृतक ममता, कालू और कमलेश की दुखद, दयनीय, परेशान करने वाली, हृदय-विदारक, मानसिक संतुलन खत्म करने वाली, होश उड़ा देने वाली और समाज को झकझोर देने वाली एक पंक्ति की अभियोजन कहानी।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी मृतक की सास और ननद हैं और उनके विरूद्ध कोई विशेष आरोप नहीं है और उनके विरूद्ध दहेज की मांग और उत्पीड़न की एक कृत्रिम कहानी गढ़ी गई है। अधिवक्ता का कहना है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन अपीलार्थीओं पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। अपीलार्थी विधवा हैं और मृत महिलाओं का अपने पतियों के साथ विवाद से उनका कोई सरोकार नहीं है। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी निर्दोष हैं लेकिन उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है, इसलिए वे जमानत के पात्र हैं।

इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और कहा कि तीनों सगी बहनों; अर्थात् ममता, कालू और कमलेश का विवाह एक ही घर में किया गया था और सभी मृत व्यक्तियों को उनके पतियों और परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के लिए नियमित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। विद्वान लोक अभियोजक ने यह भी कहा कि घटना के दो दिन पहले, निम्नलिखित संदेश एक मृतक का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर प्रतिबिंबित हुआ है:-

> "हम जा रहे है मरने अब सब खुश रहना
> मरने का कारण है हमारे ससुराल वाले हैं
> रोज रोज मरने से अच्छा हम सब मिलकर मर रहे हैं
> हे भगवान अगले जन्म में हम बहनों को एक साथ जन्म देना
> मेरे परिवार वाले से यह निवेदन है कि हमारी चिंता न करे"

विद्वान लोक अभियोजक का यह भी कहना है कि तीनों मृतकों को उनके पतियों और अपीलार्थीओं द्वारा दहेज की मांग के लिए नियमित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उन्होंने अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विद्वान लोक अभियोजक का कहना है कि, सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अपीलार्थीओं द्वारा बनाई गई उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में कुल मिलाकर पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। लोक अभियोजक का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, अपीलार्थी इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह की जमानत के पात्र नहीं हैं।

बार में की गई वादी-प्रतिवादी दलीलों को सुना गया और उन पर विचार किया गया।

यह न्यायालय किसी भी तरह से साक्ष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगी क्योंकि इससे विचारण पर असर पड़ सकता है, लेकिन आरोपों की प्रकृति और मामले की गंभीरता के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के मामले को देखते हुए, प्रथम दृष्टया इसे काल्पनिक या संदिग्ध नहीं

माना जा सकता है जिसमें, जहां एक घबराहट भरी, चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना में पांच लोगों की जान चली गई, मुझे यह जमानत दिये जाने हेतु सही मामला नहीं लगता इसलिए, वर्तमान जमानत याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

आदेश जारी करने से पहले, मैं अत्यधिक सावधानी के साथ यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा कि यहां ऊपर जो कुछ भी देखा गया है वह केवल अपीलार्थीओं द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना को निपटाने के उद्देश्य से कहा गया है। इस आदेश में शामिल किसी भी बात को मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले तथ्य या कानून के किसी भी मुद्दे पर अंतिम राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, जो स्वाभाविक रूप से विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के उचित चरण में किया जाना चाहिए।

इस आदेश की एक प्रति अन्य संबंधित फ़ाइल में रखी जाए।

(अनूप कुमार ढांड**),** न्यायमूर्ति

प्रवेश/7-8

टिप्पणी **:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है। अस्वीकरण **:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।